दिनांक 09.09.2020
प्रेस विज्ञप्ति 09/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बिजनौर/थाना कोतवाली शहर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 09.09.2020 को थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोडवेज बस अड्डा के पास से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी तसलीम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 231/2020 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में कोतवाली शहर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–तसलीम नि0 ग्राम मुकीमपुर धर्मसी थाना कोतवाली शहर बिजनौर।

बरेली/थाना इज्जतनगर

- **02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, लगभग 04 करोड़ रूपये कीमत की 04 कि0ग्रा0 अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 08.09.2020 की सायं थाना इज्जतनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रहपुरा रोड के पास से 02 मादक पदार्थ तस्करों 1–गुलाम नवी 2–आसिम उर्फ असलम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 04 करोड़ रूपये कीमत की 04 कि0ग्रा0 अवैध स्मैक व 01 महिन्द्रा टीयूवी बरामद हुयी।

इस संबंध में थाना इज्जतनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गुलाम नवी निवासी गुलडिया थाना मीरगंज बरेली।

2–आसिम उर्फ असलम निवासी शिकारपुर चौधरी जनता स्कूल के पास इज्जतनगर।

बरामदगी

1–लगभग 04 करोड़ रूपये कीमत की 04 कि0ग्रा0 अवैध स्मैक।

2–01 महिन्द्रा टीयूवी बरामद।

एसटीएफःअन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 09 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 11.388 कुन्टल गांजा बरामद।

दिनांकः 09–09–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 09 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 11.388 कुन्टल गांजा (मूल्य लगभग 2.75 करोड़) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1. षिवम गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता नि0 बबुआपुर, थाना उतरांव, प्रयागराज।
2. राधेष्याम गुप्ता बन्षी लाल नि0 बबुआपुर, थाना उतरांव, प्रयागराज।
3. विनोद कुमार पटेल पुत्र विश्वनाथ पटेल नि0 दुबौली थाना सेवरही, कुशीनगर।
4. अभय राय पुत्र रविन्द राय नि0 प्रक्रियारपुर, पूरबपट्टी थाना सेवरही, कुशीनगर।
5. राजन राय पुत्र रविन्द्र राय नि0 बागखास थाना तरयासुजान, कुशीनगर।
6. रितेष राय पुत्र कुमार सम्भव राय, नि0 मो0 जानकीनगर, वार्ड न0 2, तमकुटी रोड, थाना सेवरही, जनपद कुशीनगर।
7. मनोज सिंह पुत्र गौरीशंकर सिंह नि0 सिकटिया, थाना बिशुनपुरा, जनपद कुशीनगर।
8. सुनील वर्मा पुत्र बच्चा प्रसाद वर्मा नि0 प्रक्रियारपुर, पूरबपट्टी थाना सेवरही, कुशीनगर।
9. राजेष गुप्ता पुत्र स्व0 विश्वनाथ गुप्ता नि0 तुलापुर, थाना झूसी, जनपद प्रयागराज।

बरामदगीः–

1. अवैध मादक पदार्थ लगभग 11.388 कुन्टल (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य लगभग 2.75 करोड़ रूपये)
2. 01 अदद ट्रक भारत वेंज, यूपी 32 एनएन 4423
3. 01 अदद स्कार्पियो यूपी 70 बीबी 5857
4. 01 अदद मोटर साईकिल यूपी 70 ईएम 1165

5. 04 अदद ड्राइविंग लाइसेन्स।
6. 08 अदद आधार कार्ड।
7. 05 अदद एटीएम कार्ड।
8. 07 अदद मोबाईल फोन।
9. 04 अदद पैन कार्ड।
10. रू0 8,513/— नगद।

विगत काफी दिनों से एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को भारत के विभिन्न राज्यों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/ इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन मे मुख्यालय स्थित एस0टी0एफ0 टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि विषाखापट्टनम् आन्ध्र प्रदेष राज्य से अवैध मादक पदार्थ गांजे की खेप जनपद प्रयागराज आने वाली है, जिसकी डिलेवरी थाना क्षेत्र नैनी में किसी को होनी है। इस सूचना पर विश्वास कर एस0टी0एफ0 मुख्यालय टीम के उपनिरीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 पंकज सिंह, मु0आ0 जावेद सिद्दीकी, मु0आ0 कवीन्द्र साहनी, मुख्य आरक्षी चन्द्र प्रकाश मिश्र, आरक्षी मृत्युन्जय सिंह, आरक्षी चालक उपेन्द्र नाथ त्रिपाठी की एक टीम गठित कर एनसीबी लखनऊ को साथ लेकर कार्यवाही करने के उद्देश्य से जनपद प्रयागराज भेजी गयी। थाना क्षेत्र नैनी पहॅुच कर मुखबिर द्वारा बताये स्थान से टीम द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उपरोक्त बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि गुड्डू राय उर्फ विजय राय पुत्र रविन्द्र राय नि0 बागखास, थाना तरयासुजान, जनपद कुषीनगर लगभग एक वर्ष से विषाखापट्टनम में रहकर उत्तर प्रदेष के विभिन्न जनपदों में गांजा की खेप भेजवाता है। गिरफ्तार सुनील वर्मा का बड़ा भाई रमाशंकर वर्मा व राधेष्याम गुप्ता निवासी प्रयागराज मिलकर गांजा तस्करी का काम करते थे। रमाषंकर वर्मा की मृत्यु लगभग 08 वर्ष पूर्व हो गयी। इस बात की जानकारी गुड्डू राय को हुई तो उसने सुनील वर्मा उपरोक्त के माध्यम से राधेश्याम गुप्ता से सम्पर्क कर गांजा की तस्करी करने लगा। आज पकड़ा गया अवैध गांजा राधेश्याम की डिमाण्ड पर गुड्डू राय द्वारा भेजा गया है, जिसे भारत बेन्ज ट्रक में भूसियों की बोरियों के बीच में छिपाकर मनोज, राजन राय व विनोद पटेल द्वारा विषाखापट्टनम के पेनदुरती नामक स्थान से लाया गया है, जिसकी राधेश्याम गुप्ता की ओर से डिलेवरी लेने के लिए स्कार्पियों गाड़ी से शिवम, रितेश, अभय, राजेश व सुनील लेने के लिए आये थे। डिलेवरी किये जाने के दौरान पकड़ लिये गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध अग्रिम विविध कायवाही एनसीबी, लखनऊ द्वारा की जा रही है।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना चिनहट

- **02 शराब तस्कर गिरफ्तार**
- **75 लाख रूपये कीमत की अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद**

दिनांक 08.09.2020 की सायं थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम देवरिया के पास से 02 शराब तस्करों 1–शौरभ 2–अनुज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 75 लाख रू0 कीमत की अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद हुये।

इस संबंध में थाना चिनहट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शौरभ नि0 गोगहर थाना महेशगंज प्रतापगढ़।
2–अनुज नि0 चिन्तापुरवा थाना इशा नगर लखीमपुर।

बरामदगी

1–75 लाख रू0 कीमत की अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरण आदि बरामद।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना काकोरी

- **03 वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की 09 मोटर साइकिलें**
- **02 अवैध तंमचा मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 09.09.2020 को थाना काकोरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चकौली मोड़ तिराहा के पास से 03 वाहन चोर 1–अनवर 2–शाहरूख व 3–नूर आलम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिलें, 02 अवैध तमंचे मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनवर नि0 ग्राम मलहा कोतवाली काकोरी लखनऊ।

2–शाहरूख नि0 ग्राम टिकैतगंज कोतवाली काकोरी लखनऊ।

3–नूर आलम नि0 बैदानगर थाना मलिहाबाद लखनऊ।

<u>बरामदगी</u>

1— चोरी की 09 मोटर साइकिलें।

2—02 अवैध तमंचे मय जीवित कारतूस बरामद।

<u>जनपद सहारनपुर/थाना कोतवाली नगर</u>

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अपराधी गिरफ्तार**
- **चोरी के जेवरात बरामद**

दिनांक 08.09.2020 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर माधोनगर की पुलिया के पास से 02 अपराधी 1—खुर्रम व 2—समीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के जेवर, 02 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 31.08.2020 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कर अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बरामद माल को उक्त घटना से संबंधित होना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—खुर्रम निवासी किला नवाबगंज थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।

2—समीर निवासी मोहल्ला छत्ता 2 कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी के जेवर, 02 मोबाइल फोन आदि।

जनपद अमरोहा/थाना रजबपुर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **09 अवैध तमंचे बने/अधबने विभिन्न बोर, 10 जीवित/खोखा कारतूस, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 09.09.2020 को थाना रजबपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फय्याज नगर चौराहे के पास शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे अपराधी ओमपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 09 अवैध तमंचे बने/अधबने विभिन्न बोर, 10 जीवित/खोखा कारतूस व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना रजबपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ओमपाल निवासी ग्राम रूखालू थाना हसनपुर अमरोहा।

बरामदगी

1–10 अवैध तमंचे बने/अधबने विभिन्न बोर।

2–10 जीवित/खोखा कारतूस व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद।

जनपद सीतापुर/थाना रेउसा

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **07 अवैध तमंचे विभिन्न बोर व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण**
- **पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 08.09.2020 की रात्रि थाना रेउसा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम रसूलपुर बाग में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अपराधी 1–बंगाली उर्फ कुन्ज बिहारी 2–राम सागर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 07 अवैध तमंचे विभिन्न बोर व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना रेउसा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बंगाली उर्फ कुन्ज बिहारी निवासी ग्राम सरैया छतौना थाना थानगॉव सीतापुर।

2–राम सागर निवासी ग्राम मेवडी सेल्हवा थाना थानगॉव सीतापुर।

बरामदगी

1–07 अवैध तमंचे विभिन्न बोर व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद।

मुजफ्फरनगर/थाना खतौली

- **पुलिस कार्यवाही में शातिर अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 09.09.2020 को थाना खतौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान मीरापुर के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त इमरान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्व जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, अपहरण, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है।

इस संबंध में थाना खतौली पर अभियोग पंजीकृत कर अनावरण के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इमरान निवासी ग्राम हर्रा खिवाई थाना सरूरपुर मेरठ।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटरसाइकिल।

जनपद शाहजहांपुर/थाना खुटार

गैंगेस्टर एक्ट में 04 अपराधियों की करीब 01 करोड़ 46 लाख 45 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही

जनपद शाहजहांपुर पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले शातिर अपराधी 1—जीत सिंह 2—रोशन 3—देशराज 4—कश्मीर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ 04 लाख 45 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही।

जनपद रामपुर/थाना रामपुर

(गैंगेस्टर एक्ट में एक अपराधी की करीब 25 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्त)

जनपद रामपुर पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले शातिर अपराधी **साजिद उर्फ कल्लन** द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति कीमत करीब 25 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्त की गयी।